सेवा में,

ओरिजिनल एप्लीकेशन नं0 - 446/2023

मा0अध्यक्ष / मा0 न्यायाधीश महोदय,

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, (प्रिंसिपल बेंच)

नई दिल्ली

विषय: कूड़ा निस्तारण के नाम पर तत्कालीन उप नगर आयुक्त (रिंकु बिष्ट) एवं नगर आयुक्त श्री विशाल मिश्रा की भांति वर्तमान नगर आयुक्त श्री नरेश चंद्र दुर्गापाल एवं उपनगर आयुक्त श्रीमती राजू नबियाल तथा प्रशासक नगर निगम रुद्रपुर / जिलाधिकारी श्री उदय राज सिंह एवं ठेकेदारो द्वारा मिलकर NH-74 रोड की लेवल से ऊपर के 50% प्रतिशत कूड़े को बिना प्रोसेस (रीसाइकलिंग) के स्थानीय (उ0प्र0) के काश्तकार की 10-12 फीट गहरी लगभग 8 एकड़ भूमि एवं 15 फीट गहरी दो एकड़ सरकारी भूमि एवं इस भूमि के आसपास की भूमि पर डंपरों के जरिए टचिंग ग्राउंड के कूड़े से किए गए पटान एवं कूड़ा निस्तारण / कूड़ा खिसकाने के नाम पर IAS एवं PCS अधिकारियों द्वारा की गई कई करोड़ रुपयो की बंदर वाट की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी निगरानी में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर इस मामले की स्थलीय जांच करवा कर दोषियों को दंडित करने एवं शासकीय धन की संबंधितों से रिकवरी करने की कृपा करें !

महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा महोदय के समक्ष दिनांक 16/06/2023 एवं 19/06/2023 को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए जनहित में अनुरोध किया गया था कि नगर निगम रुद्रपुर में NH-74 खटीमा पानिपत मार्ग तथा बैगुल नदी के तट पर लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय से नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जो कूड़ा डंप किया जा रहा है के निस्तारण के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही न होने के कारण कूड़े से निकलने वाली जहरीली बदबू (दुर्गंध) की वजह से रम्पुरा,पहाड़गंज, खेड़ा,रेशम बड़ी, भूत बंगला आदि आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे हजारों परिवारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने के साथ-साथ इन परिवारों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था तथा इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को भी भयंकर दुर्गंध का सामना करने के साथ-साथ रोड तक कूड़ा फैला रहने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती थी जिस कारण कई, जनहानि भी हो चुकी है! तथा विगत कई वर्षो से बैगुल नदी में बहाये जा रहे कूड़े के कारण बैगुल नदी के पानी को प्रदूषित कर गंगा को दूषित किया जा रहा था जिस कारण समीप वर्ती ग्रामों में पशुओं की अकाल मौत के साथ-साथ किसानो की फसलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था !

1 > महोदय उक्त क्रम मे नगर निगम रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर द्वारा पहाड़गंज मे स्थित टचिंग ग्राउंड पर 20 वर्षों से भी अधिक समय से डंप किये जा रहे कूड़े का वैज्ञानिक रूप से सर्वे करवाने के दौरान मौके पर लगभग 50000 (पचास हजार) मीट्रिक टन कूड़ा मौजूद होने की पुष्टि करने के उपरांत कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्रांक -2831/2019-20 पीबी दिनांक 17 जनवरी 2020 के द्वारा जारी ई-निविदा सूचना के क्रम में दिनांक 07/02/2020 को कार्यदाई संस्था का ठेका अनुमानित धनराशि रु0 2,50 करोड (दो करोड पचास लाख मात्र) मे स्वीकृत किया गया ! अनुबंध के मुताबिक कार्य समाप्त करने की अवधि 8 माह निर्धारित की गई थी ! (ई-निविदा से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति 1- 6 संलग्न है)

महोदय उक्त कूड़ा निस्तारण का कार्य जो अनुबंध की शर्तों के मुताबिक रू0 2,50 करोड (दो करोड पचास लाख मात्र) में 8 माह के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए था वह तत्कालीन उप नगर आयुक्त (रिंकु बिष्ट) सहायक नगर

आयुक्त (श्रीमती राजू नबियल) तत्कालीन नगर आयुक्त (श्री विशाल मिश्रा) के द्वारा कार्यदाई संस्था के ठेकेदार के साथ हम साज होकर दिनांक 07/02/2020 से सुचारू किये गये कूड़ा निस्तारण के कार्य की निरंतर कई बार कार्य अवधि बढ़ाकर अक्टूबर 2022 तक 32 माह पूर्ण होने कि तिथि तक सिर्फ दस्तावेजों में उक्त संपूर्ण 50000 (पचास हजार) मीट्रिक टन कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाना दर्शाने के उपरांत तीन गुना अधिक भुगतान प्राप्त कर लगभग 10 करोड़ रूपयो की धनराशि की आपस में बंदर वाट की गई है! जिसकी पुष्टि कार्यदाई संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत मशीनों को उखाड़ने के संबंध में दिनांक 16/05/2023 को नगर निगम रुद्रपुर में रिसीव कराये गये पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होती है की दि0- 16/05/2023 तक उक्त कार्यदाई संस्था की ही मशीने शो पीस के तौर पर टचिंग ग्राउंड पर मौजूद थी ! (ई निविदा की छाया प्रति संलग्न -1,2,3,4,5,6,7)

2 > महोदय दस्तावेजों मैं उक्त कार्यदाई संस्था के ठेकेदार एवं नगर निगम के अधिकारियो-कर्मचारीयो द्वारा अक्टूबर 2022 तक उक्त संपूर्ण 50000 (पचास हजार) मीट्रिक टन कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण किया जा चुका है दर्शाने के उपरांत एक माह पश्चात नवम्बर 2022 में जब पुन: नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वैज्ञानिक रूप से सर्वे करवाया तो मौके पर 33000 हजार मीट्रिक टन कूड़ा मौजूद होने की पुष्टि कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर उधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्रांक: 3295/स्व0अनु0/2022-23 PB दिनांक 27/01/2023 के द्वारा जरी की गई द्वितीय ई-निविदा के तहत इस कूड़े को वैज्ञानिक विधि से रू0 1.35 करोड़ (एक करोड़ पैतिस लाख रुपये मात्र) मैं अनुबंध के मुताबिक 3 माह में कार्य पूर्ण करने की समय अवधि निर्धारित कर पूर्व ठेकेदार के भांजे आशीष मित्तल जिसने सिर्फ दस्तावेजों में ही कूड़ा निस्तारण का कार्य 32 माह मैं पूर्ण होना दर्शाकर कई करोड़ रुपयो की धनराशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के उपरांत पुन: अपनी जेबो को गर्म करने के उद्देश्य से सहायक नगर आयुक्त श्रीमती राजू नबियाल एवं तत्कालीन नगर आयुक्त श्री विशाल मिश्रा द्वारा आशीष मित्तल की पत्नी के नाम पर फर्जी दस्तवेजो को स्वीकार कर अपूर्ण मानकों के बावजूद द्वितीय ठेका दे दिया गया ताकि यह लोग मिलकर पूर्व की भांति सिर्फ दस्तावेजों में पुनः कूड़ा निस्तारण के नाम पर करोड़ों रूपयो की बंदर वाट को परवान चढ़ा सके! इसी के चलते नगर निगम द्वारा इस ठेकेदार का एक माह के लिए कार्य अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया ताकि ठेके की आकलन धनराशि में 25% की और बढ़ोत्तरी कर भुगतान की बंदर वाट की जा सके!(ई निविदा की छाया प्रति संलग्न -8,9,10,11,12,13,14)

3 > महोदय उक्त कूड़ा निस्तारण हेतु बिंदु संख्या -1 के अनुसार प्रथम बार जारी की गई ई- निविदा में 20 वर्ष से भी अधिक समय से पहाड़गंज में स्थित टचिंग ग्राउंड पर डंप किये जा रहे कूड़े का आकलन वैज्ञानिक रूप से करने के उपरांत लगभग 50000 (पचास हज़ार) मीट्रिक टन कूड़ा मौके पर मौजूद होने की पुष्टि की गई तथा कार्यदय संस्था द्वारा कूड़ा निस्तारण के कार्य को 8 माह में पूर्ण करने के स्थान पर 32 माह की अवधि पूर्ण कर अक्टूबर 2022 में संपूर्ण कूड़े का निस्तारण पूर्ण रूप से किया जा चुका है दर्शाने के उपरांत जब एक माह पश्चात नवंबर 2022 में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर उधम सिंह नगर के पत्रांक: 3295/स्व0अनु0/2022-23 PB दिनांक 27/01/2023 के द्वारा जरी की गई द्वितीय ई-निविदा में वैज्ञानिक रूप से करवाए गए सर्वे का उल्लेख करते हुऐ मौके पर 33000 हजार मीट्रिक टन कूड़ा मौजूद होना दर्शाया गया है (जो खुद में एक अचंभित के समान है) क्योंकि 20 साल से भी अधिक समय का कूड़ा 50000 (पचास हजार) मीट्रिक टन नगर निगम द्वारा ही दर्शाया है तो एक माह के पश्चात मौके पर 33000 हजार मीट्रिक टन कूड़ा कहां से आ गया यह कूड़ा आसमान से गिरा गिरा है या जमीन से उगा है। जो सिर्फ कागजों में फर्जी रूप से किए गए संपूर्ण कूड़ा निस्तारण दर्शाकर प्राप्त किए गए फर्जी भुगतान का पुख्ता प्रमाण है। महोदय इस ठेकेदार के द्वारा टचिंग ग्राउंड पर पूर्व से डंप यथावत कूड़े के ढेर को यथावत रहा इसके द्वारा ठेका अवधि चार माह में लगभग 500 डंपर रोड पर खिसक कर आने वाले कूड़े को उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की तहसील व परगना बिलासपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय मंगतपुर ब्लॉक जहां सैकड़ो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं के बराबर में 20-25 फीट गहरे दो एकड़ के खेत में यहां की गंदगी एवं कूड़े से वहां पर पटान कर भूमि को बंजारा बनाने के साथ-साथ प्रदूषण फैलाने का कार्य किया गया और अपनी करतूत को छुपाने के लिए कूड़े के ऊपर एक फिट मिट्टी की लेयर बिच्छा कर कूड़े को छुपा दिया गया इस संबंध में मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रेषित की गई शिकायत के क्रम में जांच अधिकारी को साइड पर 50 -60 डंपर कूड़ा मौके पर मौजूद होने की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर

को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था । (जिसकी छाया प्रति संलग्न-15) उक्त डंप कूड़े के संबंध में यह भी निवेदन करना है कि नीवर्तमान मेयर श्री रामपाल सिंह तत्कालीन नगर आयुक्त सुश्री रिंकु बिष्ट एवं तत्कालीन नगर आयुक्त श्री विशाल मिश्रा एवं सहायक नगर आयुक्त सुश्री राजू नबियाल द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए संबंधित ठेकेदार से कई करोड़ रुपयो की मोटी रकम वसूली गई है क्योंकि वर्ष 2020 से डंप कूड़े के निस्तारण करने के संबंध में जारी निविदा में फर्जी आंकड़े दर्शाते हुए सिर्फ दस्तावेजो में कूड़ा निस्तारण के नाम पर लगभग 20 करोड रुपयो की धनराशि ठिकाने लगाई जा चुकी है

4 > महोदय उक्त दो बार की कूड़ा निस्तारण करने के संबंध में जारी निवदाओं में फर्जी आंकड़ों को दर्शाते हुए लगभग 20 करोड रुपये की धनराशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के उपरांत कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर उधम सिंह नगर द्वारा अपने पत्राक-906 दिनांक 06 जुलाई 2023 के जारी ई-निविदा सूचना के माध्यम से पहाड़गंज स्थित टचिंग ग्राउंड पर पुन: तृतीय बार 26000 मेट्रिक टन करंट वेस्ट कूड़े को मौके पर मौजूद होना दर्शाते हुए वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करने का ठेका दिनांक 20/07/2023 को अनुमानित लागत रु0 4.38 करोड़ (चार करोड़ अङतीस लख रुपये मात्र) मैं स्वीकृत किया गया। (ई- निविदा की छाया प्रति संलग्न -16,17,18,19,20,21) कार्यदाई आदेश प्राप्त करने के उपरांत कार्यदाई संस्था के ठेकेदार द्वारा कूड़े को CPCB के तहत (रीसाइक्लिंग) के जरिए निस्तारण किये बगैर टचिंग ग्राउंड पर डंप कूड़े को डायरेक्ट जेसीबी एवं पोकलैंड के जरिए डंपरों में भरवा कर एक तो स्थानीय (उ0प्र0) जिला रामपुर तहसील बिलासपुर क्षेत्र के अन्तर्गत करतारपुर मार्ग पर स्थित सेक्टर 17 कॉलोनी के सामने काश्तकार की 10-12 फीट गहरी लगभग 8 एकड़ भूमि को टचिंग ग्राउंड के कुड़े से पटान कर उसके ऊपर काश्तकार के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से राख की लेयर बिच्छा कर काफी हद तक कूड़े को ढकने का कार्य किया गया है । (टचिंग ग्राउंड से डंपरो में कूड़ा भरके ले जाने एवं काश्तकार के खेत में कूड़े से पटान करने तथा कूड़े को राख से ढकने की दिनांक रहित फोटो एवं वीडियो फोल्डर नंबर 1-2 अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है)

इसके अतिरिक्त रुद्रपुर स्थित BHIL के पूर्वी तरफ 15 एकड़ सरकारी नजूल भूमि मे से दो एकड़ जमीन की 15 फीट गहरी मिट्टी बेज खाने वाले स्थल को भी डायरेक्ट जेसीबी एवं पोकलैंड के जरिए डंपरों के माध्यम से पूरी 2 एकड़ 15 फीट गहरी जमीन को टचिंग ग्राउंड के कूड़े से पाट दिया गया है। (मिट्टी खोदे गए भूखंड की फोटो तथा कूड़े से पठान किए गए की फोटो / समाचार पत्र के प्रकाशन आदेश की फोटो फोल्डर नंबर 3 अवलोकनर्थ)

इसके अतिरिक्त आसपास की भूमि पर भी कई सौ डंपर कूड़े को डालकर टचिंग ग्राउंड पर डंप NH-74 की रोड लेवल से ऊपर के 50% प्रतिशत कूड़े को उक्त दोनों स्थलों पर खपा दिया गया है और 50% कूड़ा अभी टचिंग ग्राउंड वाले स्थल पर मौजूद है क्योंकि विगत कई वर्षों से डंप किये जा रहे कूड़े के ढेर वाली जगह NH-74 रोड की लेवल से लगभग 30-35 फिट गहरी तालाब के जैसी है । (जिसकी फोटो फोल्डर नंबर - 4)

महोदय कार्यदाई संस्था का ठेकेदार NH-74 रोड लेवल से ऊपर के 50% प्रतिशत कूड़े को उक्त दो स्थलों पर बिना निस्तारण किये डायरेक्ट कूड़े को खपाकर संपूर्ण कूड़ा निस्तारण के नाम पर इतिश्री कर करोड़ों रुपयो को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का कार्य किया गया है जबकि 50% प्रतिशत कूड़ा अभी टचिंग ग्राउंड पर मौजूद है एवं कूड़े से फटी हुई बैगुल नदी को भी घुमा दिया गया है ।

5 > महोदय इसके अतिरिक्त प्रथम कूड़ा निस्तारण के ठेके की तिथि से लेकर आज की तिथि तक टचिंग ग्राउंड पर डंप कूड़ा निस्तारण के ठेके के अतिरिक्त कूड़ा खिसकने का ठेका चलाकर हर माह 10- 12 लाख रुपये के हिसाब से तब से अब तक कई करोड़ रुपयो के बारे नारे किये जा चुके हैं उक्त संपूर्ण घोटाले में तत्कालीन उप नगर आयुक्त रिंकु बिष्ट,सहायक नगर आयुक्त सुश्री राजू नबियाल,तत्कालीन मुख्य नगर आयुक्त श्री विशाल मिश्रा, वर्तमान नगर आयुक्त श्री नरेशन चंद दुर्गपाल एवं प्रशासक नगर निगम रुद्रपुर/ जिलाधिकारी श्री उदराज सिंह एवं कार्यदाई संस्था के ठेकेदार सलिप्त है। जिनके द्वारा टचिंग ग्राउंड से कूड़े को बिना रीसाइकलिंग के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर पर्यावरण को दूषित कर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को गुमराह करने का प्रयत्न कर खुद के द्वारा किए गए घोटाले पर पर्दा डालने के उद्देश्य से अखबारों के माध्यम से कूड़ा निस्तारण के नाम पर झूठ प्रचार कर जनता एवं राज्य सरकार को गुमराह किया जा रहा है ।

अतः महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप स्वयं अपनी निगरानी में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर संपूर्ण कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवा कर कूड़ा निस्तारण के नाम पर लगभग 30 करोड रुपयो को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर शासकीय धन की दोषियों से रिकवरी करवाने की कृपा करें । यदि महोदय को उचित लगे तो प्रार्थी जांच मे साक्ष्य एवं स्थल चिन्हित करवाने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।

दिनांक 16/08/2024

प्रार्थी

रामबाबू (पूर्व सभासद) पुत्र श्री रामपाल

. निवासी ई.डब्ल्यू.एस 67/5 आवास.

विकास रूद्रपुर जिला-उधम सिंह नगर

Mo.No.8630659933

मिट्टी खोदने के मामले की जांच शुरू

नगर आयुक्त ने गड़बड़ी से किया इंकार

उत्तर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर। रामबाबू (पूर्व सभासद) की लिखित शिकायत के बाद किच्छा रोड स्थित बीएचईएल कम्पनी के पीछे नगर निगम के अधीन जमीन से हुई मिट्टी खोदाई के मामले की जांच शुरू हो गई है। डीएम के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने गडढे की नपत की।

गड्ढे में भरान के लिए कूड़ा डाला गया है। इधर नगर आयुक्त ने किसी प्रकार की गड़बड़ी से इंकार करते हुए मिट्टी का उपयोग वैंडिंग जोन में चिह्नित जमीन पर भरान के लिए करने की बात कही है। नगर आयुक्त ने कहा है कि नगर निगम की ओर से सिंचाई विभाग के पास खाली पड़ी जमीन पर वैंडिंग जोन बनाया जा रहा है। इस जमीन पर भरान के लिए बीएचईएल कम्पनी के पीछे खाली पड़ी 15 एकड़ जमीन से खोदाई कर मिट्टी लाई जा रही है। सोमवार को किसी व्यक्ति ने डीएम से मिट्टी चोरी होने की शिकायत की थी। डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मंगलवार को नायब तहसीलदार सुरेश बुधलाकोटी ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर खोदाई किए गए गड्ढे की फोटोग्राफी के साथ नपत की। बताया कि खोदे गए गड्ढे से कितनी मिट्टी ले जाई गई है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। इधर, डीएम उदयराज सिंह ने बताया कि मिट्टी चोरी की शिकायत मिलने पर एसडीएम को मामले को देखने को कहा गया है।

मिट्टी का उपयोग कौन कर रहा है, यह देखने को कहा है। नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि 15 एकड़ जमीन नगर निगम के अधीन है। यहां से मिट्टी की खोदाई कर उसे वैंडिंग जोन में चयनित जमीन पर भरान के लिए ले जाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और न ही मिट्टी चोरी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या सी-7/I.M.S शिकायत-640/2023 दिनांक 5-9-23

पंजीकृत

सेवा मे

नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर/जिला प्रशासन,
जनपद–उधमसिंह नगर
उत्तराखण्ड।

विषय : आइ0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ संख्या 354425300 के माध्यम से नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा जनपद रामपुर के तहसील व परगना बिलासपुर (उ0प्र0) स्थित प्राथमिक विद्यालय, मंगतपुर के निकट अवैध रूप से कूड़ा डम्प किये जाने के विरूद्ध श्री रामबाबू (पूर्व सभासद) पुत्र श्री रामपाल, निवासी ईडब्लूएस– 67/5, आवास विकास, रूद्रपुर जनपद–उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आइ0एम0एस0पोर्टल संदर्भ संख्या–354425300 के माध्यम से नगर निगम, रूदपुर जनपद–उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा जनपद रामपुर के तहसील व परगना बिलासपुर (उ0प्र0) मे स्थित प्राथमिक विद्यालय, मंगतपुर के निकट अवैध रूप से कूड़ा डम्प किये जाने के विरुद्ध श्री रामबाबू (पूर्व सभासद) पुत्र श्री रामपाल, निवासी ईडब्लूएस– 67/5, आवास विकास, रूद्रपुर जनपद–उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा प्रेषित शिकायत जो कि क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद को दिनांक 27.07.2323 को अंतरित की गयी। उक्त शिकायती प्रकरण पर स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.08.2023 को किया गया, प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार–

निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय, मंगतपुर, तहसील व परगना बिलासपुर, जनपद– रामपुर उ0प्र0 के समीप स्थल पर लगभग 50 ट्रक कूड़ा/कचरा एकत्रित पाया गया। वर्तमान समय में शिकायती स्थल पर लगभग लम्बाई 50 मीटर, चौडाई 50 मीटर एव गहराई 05 मीटर प्लाट मे कूड़ा/कचरा एकत्रित पाया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया कि स्थल पटान किये जाने हेतु नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा ट्रंचिंग ग्राउण्ड में डम्प किये गये कूड़े– कचरे को लाकर ग्राम–मंगतपुर तहसील–बिलासपुर, जनपद–रामपुर मे डाला जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण का निराकरण अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

ध्यातव्य हो कि, उक्त प्रकरण वर्तमान मे मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या–446/2023 मे योजित है, उक्त प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 मे विचाराधीन है।

भवदीय

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपि : 1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री रामबाबू (पूर्व सभासद) पुत्र श्री रामपाल, निवासी ईडब्लूएस 67/5 आवास विकास रूद्रपुर जनपद- उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

अमर उजाला | काशीपुर-रुद्रपुर-जसपुर-किच्छा-पंतनगर | amarujala.com | नैनीताल | बुधवार, 28 फरवरी 2024 | 5

बताया कि उसके पति हेतराम इमामी कंपनी के गोदाम एमएएफ इंजीनियरिंग में काम करते हैं। बीती 16 फरवरी की शाम कंपनी से काम कर वापस लौटते समय सिंगला फोरजिंग गेट नंबर-दो के सामने तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने पति को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें उसके पति को गंभीर चोटें आई और वे बेहोश हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वर्तमान में उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएचओ आरएस डांगी ने बताया कि बाइक चालक की तलाश की जा रही है। संवाद

काशीपुर में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी

काशीपुर। मोहल्ला खत्रियान निकट बंदरों वाला मंदिर के पास रहने वाले राजेश टंडन ने पुलिस को बताया कि 23 फरवरी की रात लगभग दस बजे उन्होंने अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी की थी। अगले दिन सुबह देखा तो स्कूटी मौके से गायब थी। काफी तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने केस दर्ज कर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया

बाजपुर। बेरिया दौलत रोड निवासी चंपा ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देकर एक युवक पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वह मजदूरी करने के लिए टांडा की तरफ जा रही थी। इस दौरान एक युवक ने रास्ते में उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इससे उसके चोट आई है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। संवाद

पुलिस ने चाकू के साथ एक युवक को पकड़ा

सितारगंज। सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। एमबीआर गेट के पास पहाड़ी ठकरौली निवासी जीवन राम कोहली को रामपुरी चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। संवाद

पुराने प्रस्तावों पर कार्य कराने की मांग

बाजपुर। ग्राम मुंडिया पिस्तौर देहात के उप प्रधान हरप्रीत सिंह पन्नू ने मंगलवार को खंड विकास अधिकारी को पत्र देकर पुराने प्रस्तावों पर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उप प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत पुराने प्रस्ताव को कार्य नहीं कराकर नए प्रस्ताव पर मनमाने तरीके से कार्य कराए जा रहे है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। संवाद

चलती कार का दरवाजा खोला, बाइक सवार घायल

काशीपुर। चलती कार का दरवाजा खोलने से बाइक सवार उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पत्नी की तहरीर के आधार पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

ग्राम पैगा निवासी राखी ने आईटीआई थाना पुलिस को बताया कि उसका पति मित्रपाल सिंह 20 फरवरी की शाम लगभग छह बजे जसपुर खुर्द से अपनी बाइक पर घर जा रहे थे। गढ़वाल सभा कब्रिस्तान के पास तेज रफ्तार कार के चालक ने थूकने के लिए चलती कार का दरवाजा खोल दिया।

पति की बाइक उसकी चपेट में आ गई। सड़क पर गिरने से पति के एक पैर की हड्डी टूट गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

मिट्टी खोदाई मामले की जांच शुरू राजस्व विभाग ने की जमीन की नपत

तहसील की टीम ने मौके पर पहुंचकर की नगर निगम की जमीन की पड़ताल

संवाद न्यूज एजेंसी

किच्छा बाइपास रोड के पास खोदे गड्ढे की नपाई करती राजस्व विभाग की टीम। संवाद

रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित बीएचईएल कंपनी के पीछे नगर निगम के अधीन जमीन से हुई मिट्टी खोदाई के मामले की जांच शुरू हो गई है। डीएम के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने गड्ढे की नपत की। गड्ढे में भरान के लिए कूड़ा डाला गया है। इधर नगर आयुक्त ने किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हुए मिट्टी का उपयोग वैंडिंग जोन में चिह्नित जमीन पर भरान के लिए करने की बात कही है।

दरअसल नगर निगम की ओर से सिंचाई विभाग के पास खाली पड़ी जमीन पर वैंडिंग जोन बनाया जा रहा है। इस जमीन पर भरान के लिए बीएचईएल कंपनी के पीछे खाली पड़ी 15 एकड़ जमीन से खोदाई कर मिट्टी लाई जा रही है।

सोमवार को किसी व्यक्ति ने डीएम से मिट्टी चोरी होने की शिकायत की थी। डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को नायब तहसीलदार सुरेश बुधलाकोटी ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर खोदाई किए गए गड्ढे की फोटोग्राफी के साथ नपत की। बताया कि खोदे गए गड्ढे से कितनी मिट्टी ले जाई गई है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। डीएम उदयराज सिंह ने बताया कि मिट्टी चोरी की शिकायत मिलने पर एसडीएम को मामले को देखने को कहा गया है। मिट्टी का उपयोग कौन कर रहा है, यह देखने को कहा है।

नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि 15 एकड़ जमीन नगर निगम के अधीन है। यहां से मिट्टी की खोदाई कर उसे वैंडिंग जोन में चयनित जमीन पर भरान के लिए ले जाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और न ही मिट्टी चोरी की जा रही है।

स्वास्थ्य पर भारी पड रहा

कार्यालय उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिए कंजाबाग रोड खटीमा

अल्पकालीन निविदा सूचना

प्रधान प्रबन्धक

V.Y.D.S. AYURVED COLLEGE
Khurja, Distt.- Bulandshahr- U.P.

REQUIRED : Principal-01, Professor: Shalya-1, Shalakya-1, Kriya-1, Agad-1. Reader: RSBK-1, PTSR- 1, Samhita-1, Dravyaguna-1. Lecturer: Shalya-1, Shalakya-1, PTSR-1, Panchkarma-1. Full Time Regular Job, Salary based on experience.

DR. M.D.S. PARAMEDICAL INSTITUTE

REQUIRED: Teacher M.Sc.(Nur.) - 05, B.Sc. (Nur.) - 05. Minium Qualification as per Nursing council of India. Full Time Regular Job, Salary based on experience.

Apply immediately on : E-mail: vydsam@gmail.com
Mob. 6395367726

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.,राजपुर-पूरनपुर-

अमृत विचार
www.amritvichar.com
रुद्रपुर
हल्द्वानी, बुधवार, 28 फरवरी 2024

नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के निरीक्षण को गठित होगी समिति

रुद्रपुर : जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 के तहत बैठक आयोजित की।

जिसमें बताया गया कि राज्य में संचालित 92 सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें से ऊधमसिंह नगर में सात नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों को पंजीकृत किया गया है। जनपद में पंजीकृत केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण होना है। जिसके लिए जल्द समिति का गठन किया जाएगा। बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र फुलसुंगा रुद्रपुर में निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति इस केंद्र का उपयोग करेंगे। समिति ने निर्णय लिया कि समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खुले में विचरण कर रहे विक्षिप्त जनों की सूचना जल्द से जल्द मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए। जिला न्यायाधीश ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल संचालकों को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विद्यालयों में काउंसलर तैनात करने के निर्देश दिए। यहां सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एसडीएम मनीष बिष्ट, मनोचिकित्सक डॉ. ईश कुमार डल्ला, डॉ. माधवी अवस्थी आदि रहे।

सरकारी भूखंड से खोद डाली करोड़ों रुपये की मिट्टी

किच्छा बाईपास मार्ग स्थित भूमि से सैकड़ों डंपर मिट्टी गायब, डीएम ने लिया संज्ञान, नायब तहसीलदार और पटवारी ने की नपाई

संवाददाता, रुद्रपुर

अमृत विचार : किच्छा बाईपास मार्ग पर राज्य सरकार की भूमि पर माफियाओं द्वारा मिलीभगत कर करोड़ों की मिट्टी खुदाई का करने का मामला सामने आया है। मिट्टी खुदाई का मामला संज्ञान में आते ही डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ मौका मुआयना किया और खुदाई स्थल की नपाई कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शिकायतकर्ता ने निगम पर भूमि की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

बताते चलें कि बीएचईएल की पूर्वी दिशा में सरकार भूखंड पड़ा हुआ। जिसकी निगरानी तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम के सुपुर्द किया गया था। बताया जा रहा है कि इस भूमि में से दक्षिण दिशा में 15 एकड़ की भूमि निगम द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ दी गयी थी। जिस पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं डाला जा सकता था। पिछले एक माह के अंदर मिट्टी माफियाओं ने मिलीभगत कर 15 एकड़ के भूखंड में से लगभग दो एकड़ की समतल भूमि से मिट्टी की खुदाई कर करोड़ों रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया। इसकी भनक जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन को नहीं हुई। जब शिकायतकर्ता एवं पूर्व सभासद रामबाबू को इसकी भनक लगी तो पूर्व सभासद ने मौके का वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से मामले की शिकायत दर्ज की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम उदयराज सिंह के आदेश पर नायब तहसीलदार और पटवारियों की एक टीम ने खबर वायरल होने के बाद सोमवार की शाम को ही मौका मुआयना किया और मंगलवार को भी टीम ने मौका मुआयना कर भूखंड की नपाई शुरू कर दी। टीम ने पूरे भूखंड की पैमाइश कर रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि देर रात को जेसीबी के जरिए मिट्टी खुदाई का कार्य चोरी छिपे होता है और खुदाई नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि एक माह के अंदर करीब 500 से अधिक डंपर मिट्टी की ढुलाई कर चुके हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि मिट्टी माफियाओं ने करोड़ों की मिट्टी बेचकर सरकार को चूना लगा दिया है। जब इस प्रकार में नगर निगम प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई।

भूखंड का मौका मुआयना करती प्रशासन की टीम। • अमृत विचार

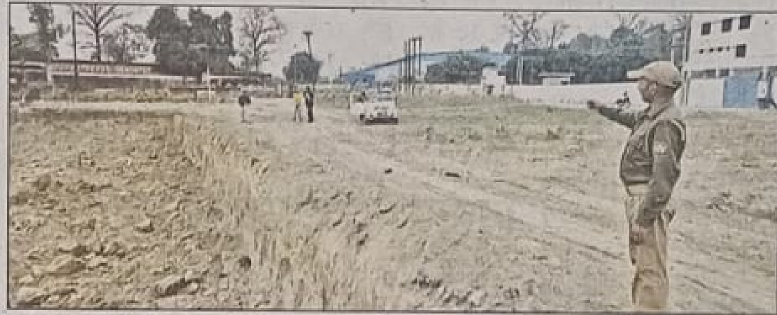

रुद्रपुर में मंगलवार सुबह खुदाई स्थल की नपाई करते कर्मचारी। • अमृत विचार

> किच्छा बाईपास मार्ग स्थित करीब 15 एकड़ की भूमि को अभी तक नगर निगम ने फ्री होल्ड तक नहीं किया है। ऐसे में बिना सरकार की अनुमति और जिला प्रशासन के संज्ञान के बिना बड़े पैमाने पर मिट्टी खुदान का मामला सरकारी भूमि की मिट्टी को खुर्दबुर्द करने के समान है, जबकि मिट्टी खुदाई के कारण होने वाले गड्ढों को कूड़ा कचरा डालकर भरा जा रहा है। ताकि करोड़ों के घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला हाईकोर्ट तक जाएगा।
>
> **-रामबाबू, पूर्व सभासद एवं शिकायतकर्ता।**

> नगर निगम अपनी जमीन से मिट्टी खुदाई कर वेंडिंग जोन में डलवा रहा है और निगम प्रशासन की देखरेख में मिट्टी की खुदाई की गई है। ऐसे में पूर्व सभासद के आरोप निराधार हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या मिट्टी खनन का प्रकरण नहीं है। जांच होने के बाद मामले साफ हो जाएगा। निगम अपने दायित्वों के प्रति गंभीर है।
>
> **-नरेश दुर्गापाल, एमएनए, नगर निगम**

दिनेशपुर में रात में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का अवैध खनन

दिनेशपुर : प्रशासन व पुलिस की अनुमति के बगैर मिट्टी खनन माफिया रात में बेरोकटोक चल रहे हैं। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रालियों में भरी ओवरलोड मिट्टी सड़कों व गलियों में बिखर रही है। इससे दोपहिया वाहनों के रपटने का खतरा बना हुआ है। पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। विदित हो कि थानाध्यक्ष अनिल जोशी ने क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों व अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाई थी। थानाध्यक्ष के छुट्टी पर जाने पर खनन माफिया फिर से बेरोकटोक रात में अवैध मिट्टी का कारोबार कर रहे है। अवैध खनन की ट्रालियां सड़कों पर दौड़ रही है। जिससे सिडकुल से आने व जाने-वाले कर्मचारियों व राहगीरों का निकलना दूभर हो रहा है। साथ ही हादसों का भी खतरा बना है। पुलिस की नजर ओवरलोड ट्रकों व अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्राली पर नहीं पड़ती।

दिनेशपुर में रात्रि में अवैध खनन कर मिट्टी ले जाती ट्रैक्टर ट्राली।

खटीमा में 40 व्यापारियों ने बनवाए खाद्य लाइसेंस

खटीमा। व्यापार मंडल खटीमा के तत्वावधान में सनातन धर्मशाला में खाद्य शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 40 व्यापारियों ने खाद्य लाइसेंस का पंजीकरण कराया। नगर के कुछ व्यापारियों का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं बना था। जिसको देखते हुए व्यापार मंडल द्वारा खाद्य शेयर आयोजित किया गया। जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा, खाद्य निरीक्षक आशा आर्य और नवीन पांडे द्वारा व्यापारियों की पंजीकरण किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल महामंत्री हिमांशु अग्रवाल, चकरपुर के व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश जोशी, तारा दत्त कांडपाल,जगजीत सिंह, अनमोल अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल, अर्जुन चंद, मनीष गोस्वामी, हरीश शर्मा आदि मौजूद रहे।

पाठकों हेतु सूचना

प्रिय पाठको,

हल्द्वानी, काशीपुर एवं रूद्रपुर में आपको अमृत विचार समाचार पत्र मिलने में असुविधा हो रही हो तो कृपया नीचे दिये गये नंबरों पर सम्पर्क करें।

हल्द्वानी कार्यालय — 7830460114, 9412987555
काशीपुर कार्यालय — 8218100208
रूद्रपुर कार्यालय — 9837804094, 8476843488

सुरईरेंज की झाड़ियों में मिला

चुघ ने प्रदेश अध्यक्ष से

रोहिलखण्ड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल

15 अग 2024 17:59:12
रुद्रपुर
कुमाऊँ डिवीजन
उत्तराखंड

21 फ़र 2024 12:48:56

15 अग 2024 17:58:32
Near BHEL
Rudrapur
Kumaon Division
Uttarakhand

21 फ़र 2024 12:48:39

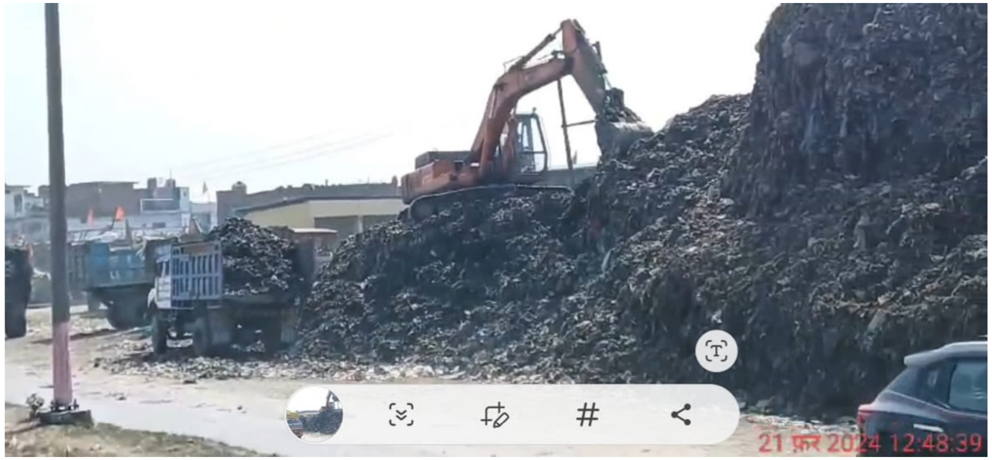
21 फ़र 2024 12:48:39

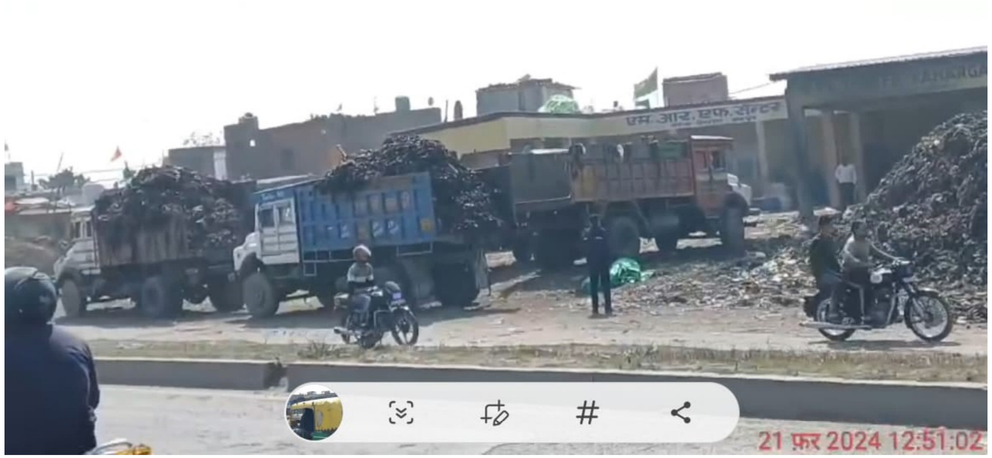
21 फ़र 2024 12:51:02

21 फ़र 2024 12:48:59

21 फ़र 2024 12:48:47

809

810

15 अग 2024 17:59:53
Near BHEL
Rudrapur
Kumaon Division
Uttarakhand

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

दूरभाष– 05944.242400, e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

"कोटेशन सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत पहाडगंज स्थित ट्रंचिग ग्राउण्ड में एन0एच0 एवं बैगुल नदी की ओर दैनिक रूप से एकत्रित अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ठ Current Waste को पोकलैण्ड के माध्यम से ट्रंचिंग ग्राउण्ड के भीतर खाली स्थल पर धकेलने/शिफ्ट करने हेतु इच्छुक फर्मों/एजेन्सीयों/संस्थाओं आदि से दिनांक 06.07.2023 की दोपहर 02:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन दोपहर 03:00 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जाएंगी। उक्त पोकलैण्ड में ईधन की आपूर्ति नगर निगम रूद्रपुर द्वारा की जायेगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएंगी। किसी भी कोटेशन अथवा समस्त कोटेशनों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा। अधिक जानकारी हेतु स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम रूद्रपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

–ह0–	–ह0–
(दीपक गोस्वामी)	(विशाल मिश्रा)
सहायक नगर आयुक्त	नगर आयुक्त
नगर निगम,रूद्रपुर	नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर	ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

दूरभाष– 05944.242400, e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक:– 849 /अधि0अनु0/2023–24 । P.B. दिनांक:– 03 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिहनगर।
3. कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. कार्यालय, मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. श्री तपन कुमार राय, डा.ए.आ., नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कोटेशन सूचना को नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

GSTIN : 09AAGFR7565R1Z4
Mob. : 7348688888

M/s. RAM SINGH AGARWAL

APPROVED GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS • OWN HOT MIX PLANT

दिनांक 16.05.2023

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम, रुद्रपुर।

विषय : अनुबन्ध संख्या 1089/स्वा०अनु०/2019-2020 दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य के पूर्ण होने पर प्लांट हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुबन्ध के अन्तर्गत हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फर्म ने दिनांक 20.05.2023 को हमारे द्वारा लगाया गया कूड़ा निस्तारण प्लांट पहाड़ गंज साइट से हटाना सुनिश्चित किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। जिससे कि प्लांट को स्थान्तरित करने में कोई बाधा न उत्पन्न हो।

नोट– यह पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2023 को नगर निगम रूद्रपुर की ई–मेल आई.डी. पर भी मेल के माध्यम से महोदय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका हैं।

धन्यवाद।

भवदीय

मेसर्स राम सिंह अग्रवाल

(हस्ताक्षर)

18-5-23

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)
e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com
Tel. 05944-242400, Fax – 05944-243316

ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लगभग 50,000 (पचास हजार) मीट्रिक टन पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनों से पृथक किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/संस्थाओं से दिनांक 18.01.2020 की प्रातः 11:00 बजे से 06.02.2020 की सांय 5:00 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 07.02.2020 को अपरान्ह 12:00 बजे अधिप्राप्ति समिति द्वारा खोली जायेगी। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वैबसाइट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रूद्रपुर की वैबसाइट www.nagarnigam rudrapur.com से डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा।

(रिंकू बिष्ट)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर (ऊ0सि0 नगर)

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर (ऊ0सि0 नगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांकः–2831/2019–20/पीबी दिनांकः 17 जनवरी, 2020

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र **हिन्दुस्तान** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को साईज **6x8 सेमी0** में अपनी व्यवसायिक दरों में **30 प्रतिशत या उससे अधिक छूट** देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र **राष्ट्रीय सहारा** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को साईज **6x8 सेमी0** में अपनी व्यवसायिक दरों में **35 प्रतिशत या उससे अधिक छूट** देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. डा0इ0ऑपरेटर, नगर निगम, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को उपरोक्तानुसार वैबसाइट पर अपलोड कर निविदा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(रिंकू बिष्ट)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर (ऊ0सि0 नगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर

Tel. 05944-242400 e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com

पुराने 50 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) का पृथकीकरण कर निस्तारित किये जाने के लिए प्रस्ताव हेतु निविदा

Bid Schedule:-

1.	E-Tender Inviting and Accepting Authority	Municipal Commissioner, Nagar Nigam Rudrapur, Near Indira Chowk, Rampur-Nainital Road, Rudrapur District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263153
2.	Name of the work	About 50,000 (Fifty Thousand) MT of Municipal Solid Waste (MSW) is to be separated through single/double Trommel or Ballast Separator or both of the capacity of 200 MT minimum per day or more.
3.	E-Tender Reference	2831/ 2019-20/PB Date 17.01.2020
4.	E-Tender Type	Single stage, Two Part Bidding System - Comprising of Technical Bid and Financial Bid.
5.	Date of Online Publication, Documents Download Start Date & Bid Submission Start Date	18.01.2020 from 11:00 am
6.	Pre-bid meeting date, time and venue	27.01.2020 at 12:00 pm at Office of Municipal Commissioner, Nagar Nigam Rudrapur, Near Indira Chowk, Rampur-Nainital Road, Rudrapur District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263153
7.	Contact Information	Office of Municipal Commissioner, Nagar Nigam Rudrapur, Near Indira Chowk, Rampur-Nainital Road, Rudrapur District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand- 263153 Email: nagarnigamrudrapur@gmail.com Phone no: 05944-242400
8.	Bid Processing Fee	Rs. 5000.00 + 900 (GST 18%) = 5900.00 Payable by Bank Demand Draft in favour of Nagar Ayukt, Nagar Nigam Rudrapur.
9.	EMD	Rs. 5,00,000.00 (Rs. Five lakhs only) in the form of FDR/NSC in favour of Nagar Ayukt, Nagar Nigam Rudrapur.
10.	Last date and time online submission of bids	06.02.2020 up to 5:00 pm Bids submitted beyond the due date and time shall not be accepted by the tender inviting authority and shall be summarily rejected.
11.	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents	07.02.2020 at 12:00 pm in the office of Municipal Commissioner, Nagar Nigam Rudrapur, Near Indira Chowk, Rampur-Nainital Road, Rudrapur District- Udham Singh Nagar-263153
12.	Opening of Bid	07.02.2020 at 12:00 pm in the office of Municipal Commissioner, Nagar Nigam Rudrapur, Near Indira Chowk, Rampur-Nainital Road, Rudrapur District- Udham Singh Nagar-263153
13.	Opening of Price Bid	This will be intimated only to the technically qualified bidders
14.	Bid Validity	90 days from the date of opening of the bid
15.	Concession Period	08 Months
16.	Performance Bank Guarantee	Bank Guaranty from a scheduled bank amounting to 2% of the project value, which is the value of Total CAPEX cost of plant and machinery to be installed and including civil Infrastructures cost.

नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा 20 वर्षों से भी अधिक समय से अपने क्षेत्रान्तर्गत उत्पादित नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को, किच्छा रोड एन.एच. 74 के मुख्य मार्ग के पास मौहल्ला पहाड़गंज में लगभग डेढ़ एकड़ रिक्त भूमि में, डाला जा रहा है। उक्त स्थान पर लगभग 50,000 (पचास हजार) मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने का पूर्व अनुमान है। कालान्तर में अधिकांश अपशिष्ट स्वतः ही विघटित (Decomposed) हो चुका है। उक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनो से पृथक किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1391/स्वा0अनु0/2019-20/पीबी दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 22.08.2019 के अंक में "सार्वजनिक सूचना/अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)" प्रकाशित करायी गई थी, जिसमें प्रतिभाग करने वाली फर्मो तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्मों से इस RFP के माध्यम से उपरोक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनो से पृथक किये जाने हेतु प्रति मीट्रिक टन की दर के आधार पर ई-निविदायें आमंत्रित किये जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक Scope of work व शर्तें निम्नवत् हैं।

1. सफल निविदादाता द्वारा उपरोक्त स्थान पर एकत्रित लगभग 50,000 (पचास हजार) मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) को 200 मीट्रिक टन या उससे अधिक प्रतिदिन की क्षमता के सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनो से पृथक किया जायेगा।
2. अनुबन्ध की अवधि 08 माह की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में यदि किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो सफल निविदादाता द्वारा किये गये कार्य प्रदर्शन/मूल्यांकन के बाद नगर आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार समयावधि बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने की कार्यवाही कारण प्रदर्शित करते हुए तथा समुचित कारण होने के उपरान्त ही की जायेगी। अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त अधिकतम 03 सप्ताह के अन्दर मशीनरी लगाने हेतु सिविल वर्क का धरातल पर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा तथा इसके अगले 04 से 05 सप्ताह में मशीनरी स्थापित कर नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का कार्य प्रारम्भ करना होगा। उपरोक्त समय सीमा कार्य हेतु निर्धारित अवधि 08 माह के अतिरिक्त मान्य होगी।
3. नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) के पृथक्कीकरण एवं अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर होगा।
4. प्लान्ट इस प्रकार लगाया जायेगा कि आवश्यकतानुसार प्लान्ट रात्रि में भी चलाया जा सके।
5. निविदा दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय) में डाली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोले जायेगें एवं तकनीकी निविदा में अर्ह फर्म/संस्था/ठेकेदार के ही वित्तीय निविदा खोले जायेगें।
6. बिड डालने हेतु निम्न प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होगें किसी भी वांछित प्रपत्र के अपलोड न होने की स्थिति तथा अपठनीय होने की दशा में बिड निरस्त कर दी जायेगी-
   (i) उक्त कार्य की अनुमानित धनराशि रू0 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख मात्र) है। निविदादाता को निविदा की धरोहर राशि रू0 5.00 लाख (पाँच लाख मात्र) की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. जो नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, तकनीकी निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उक्त एफ.डी.आर./एन.एस.सी. की ऑरिजनल कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
   (ii) निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 5000.00+GST 18%=5900.00 (पाँच हजार नौ सौ मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की ऑरिजनल कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

(iii) निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100.00 के नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पूर्व में उसकी फर्म को उत्तराखण्ड सहित किसी भी प्रदेश की किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(iv) निविदादाता का केन्द्र सरकार में आयकर विभाग एवं केन्द्र/उत्तराखण्ड राज्य के श्रम विभाग, ई.पी. एफ. कार्यालय, ई.एस.आई.सी. कार्यालय एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा उक्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(v) निविदादाता द्वारा उत्तराखण्ड अथवा किसी भी राज्य में गत 05 वर्षों में एकल इकाई के रूप में न्यूनतम 5,000 (पाँच हजार) मीट्रिक टन या दो फर्मों/संस्था का संयुक्त उपक्रम होने की दशा में न्यूनतम 10,000 (दस हजार) मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट पृथकीकरण के सम्बन्ध में संस्था/विभाग द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(vi) निविदादाता को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम रू0 70.00 लाख (सत्तर लाख मात्र) का नवीनतम हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वैधता अवधि से पुराना हैसियत प्रमाण पत्र होने की दशा में पुराना हैसियत प्रमाण पत्र के साथ सम्पत्ति खुर्द–बुर्द न किये जाने सम्बन्धी रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र के साथ–साथ बैंक द्वारा जारी नेट वर्थ प्रमाण पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित नेट वर्थ प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

(vii) निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ MSW के क्षेत्र में उत्तराखण्ड या किसी भी राज्य के किसी एक स्थानीय निकाय अथवा अन्य निकायों में संयुक्त रूप से तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए तथा उक्त को सम्मिलित करते हुए तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर 7.50 करोड़ (सात करोड़ पचास लाख मात्र) रूपये से अन्यून नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। प्राप्त निविदा अपूर्ण, अपठनीय व स्वप्रमाणित नहीं होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा।

8. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने की तिथि से अग्रिम 90 दिनों तक के लिए होनी अनिवार्य है।

9. सफल निविदादाता अपने सभी कार्य और सेवाओं का सम्पादन एक इकाई के रूप में करेगा।

10. सफल निविदादाता द्वारा SBM Rules 2016 एवं मा0 एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन न करने अथवा शिथिलता बरतने पर मा0 सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या राजकीय विभाग द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उक्त आरोपित अर्थदण्ड को जमा करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

11. सफल निविदादाता को निविदा में रखी गई सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा तथा कूड़े का निस्तारण MSW Rules 2016 एवं नगर निगम के इस हेतु बने उपनियमों के निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार ही करना होगा।

12. सफल निविदादाता को अपशिष्ट पृथकीकरण प्लान्ट को चलाने एवं अन्य समस्त कार्य के लिए आवश्यक मानव शक्ति और मशीनरी की व्यवस्था स्वयं तथा अपने व्यय पर करनी होगी। सफल निविदादाता को मशीनरी यथा कॉम्पेक्टर, ट्रोमल, बैलास्ट सेपरेटर इत्यादि की व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा हेतु चौकीदार, सीसी टीवी कैमरे इत्यादि की व्यवस्था भी स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मशीनों के कार्य करने के दौरान एक सुपरवाईजर तैनात करना आवश्यक होगा। सुपरवाईज़र का मैकेनिकल/इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना अनिवार्य है।

13. प्लान्ट के संचालन हेतु विद्युत संयोजन तथा संयोजित विद्युत बिल का वहन सफल निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।

14. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में योजित कार्मिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जायेगें, तथा दस्ताने, मास्क, गमबूट इत्यादि प्रदान करना अनिवार्य होगा, तथा समय–समय पर कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराना होगा।

15. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी तथा समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों आयोगों, अभिकरणों तथा नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करने की बाध्यता होगी।

16. इस अनुबन्ध की अवधि में कार्य करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिये जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का ही होगा तथा नगर निगम द्वारा कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

17. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त वाहनों का ईंधन व्यय, परिचालन (वाहन चालक व हैल्पर), वाहन की मरम्मत एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सफल निविदादाता को अपने स्वयं के स्रोतों से करनी होगी। सफल निविदादाता को नगर निगम से कोई मानव शक्ति एवं जेसीबी या अन्य वाहन प्रदान नहीं किया जायेगा।

18. पृथकीकरण के उपरान्त अपशिष्ट से निकलने वाले इनर्ट मैटेरियल (मिट्टी, रोड़ी, बजरी, पत्थर) को पहाड़गंज से चिन्हित स्थल तक (न्यूनतम 500 मीटर से 03 किमी0 की दूरी तक परिवहन किया जायेगा) परिवहन हेतु वाहन (ट्रैक्टर–ट्राली/टिप्पर) नगर निगम द्वारा सफल निविदादाता को प्रदान किया जायेगा, जिसका ईंधन, अनुरक्षण एवं रख–रखाव सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्यों हेतु लगाये गये वाहनो पर जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।

19. सफल निविदादाता अपना एक कार्यालय बनाएगा। कार्यालय कार्य स्थल के समीप बनाने की प्राथमिकता दी जाय। निविदादाता से अपेक्षा होगी की वह कार्यालय में कार्य से भिज्ञ टैक्नीकल योग्यता वाले कार्मिक की नियुक्ति करेगा जो Specification, Drawing, Design, Measurement & bill of Quantities के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखता हो।

20. उक्त कार्य को करने के दौरान उठने वाली धूल (Dust) के लिए 5000 लीटर के पानी के टैंकर की क्षमता का एक High Pressure water Jetting Machine की व्यवस्था करनी होगी।

21. कूड़ा उठाने के दौरान उठने वाले दुर्गन्ध के लिए सफल निविदादाता द्वारा दुर्गन्ध नाशक दवाई का छिड़काव करना भी आवश्यक होगा।

22. Trommel के Screen का साईज 16-25mm का होना चाहिए। 25mm से अधिक Screen स्वीकार्य नहीं होगें।

23. Screen से निकलने वाली मिट्टी/बजरी की कन्वेयर बेल्ट की ऊँचाई इतनी रखी जायेगी की उक्त मिट्टी/बजरी सीधे टिप्पर या ट्रैक्टर–ट्राली में गिरे।

24. अपशिष्ट से निकलने वाले अन्य सामान जैसे बोतल, प्लास्टिक, पॉलीथिन, लोहा, चमड़ा, कपड़े, लकड़ी आदि की सफल निविदादाता द्वारा पृथक–पृथक छँटाई की जायेगी तथा उनके पृथक–पृथक ढेर लगाये जायेगें। पॉलीथिन बैग आदि की सफाई कर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा सफल निविदादाता द्वारा अपने स्तर से अधिकृत क्रेताओं को विक्रय किया जायेगा तथा उससे होने वाली आय को सफल निविदादाता द्वारा स्वयं रखा जायेगा।

25. अपशिष्ट से निकलने वाली मिट्टी एवं अन्य समस्त सामान का वजन किया जायेगा। इस वजन के आधार पर ही निस्तारित अपशिष्ट के वजन की गणना की जायेगी। मिट्टी/बजरी का निस्तारण नगर निगम द्वारा स्वयं किया जायेगा।

26. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सफल निविदादाता अपनी मशीनरी को स्वयं Dismantle करेगा एवं वापस ले जायेगा। विभाग द्वारा प्लान्ट लगाने एवं लेबर शेड बनाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा।

27. निदेशालय/शहरी विकास विभाग द्वारा भी कुछ निकायों में पुराने पड़े MSW की EOI निकाली गई है। यदि उक्त दरें प्रस्तावित दरों से कम होती है तथा किया जाने वाला कार्य में कोई खास अन्तर नहीं होता है तो जो दरें कम होगी वह प्रदान की जायेगी।

28. सफल निविदादाता प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में पिछले माह का बिल प्रस्तुत करेगा। बिल प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी। बिल के साथ पृथक्कीकरण किये गए कूड़े के वजन की पर्चियाँ प्रस्तुत करनी होगी। वजन कराने की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर करनी होगी

29. सफल निविदादाता द्वारा प्रतिदिन औसतन 200 मीट्रिक टन अथवा न्यूनतम 6000 मीट्रिक टन प्रतिमाह नगरीय ठोस अपशिष्ट को सिंगल/डबल Trommel या Ballast Separator अथवा दोनो से पृथक किया जाना अनिवार्य है। यदि सफल निविदादाता द्वारा प्रतिमाह 10% से कम कार्य किया जाता है तो कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा, परन्तु प्रतिमाह 10% से 20% तक कम कार्य किया जाता है, तो माह के कुल भुगतान से दण्ड स्वरूप 5% धनराशि की कटौती की जायेगी। यदि प्रतिमाह किये जाने वाले पृथक्कीकरण के कार्य में 30% से अधिक की कमी पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।

30. यदि किसी दिन वर्षा के कारण अपशिष्ट गीला हो जाता है जिस कारण से कार्य नहीं हो पाता है तो सफल निविदादाता को उस दिन के कार्य न कर पाने पर कोई दण्ड नहीं लगाया जायेगा। इसी प्रकार यदि नगर निगम के निर्देश पर कार्य रोका जाता है तो उस दिन के लिए भी कोई दण्ड (Penalty) नहीं लगाया जायेगा।

31. सफल निविदादाता को नियोजित कार्मिकों की हड़ताल, बीमारी इत्यादि के कारण कार्य प्रभावित होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

32. सफल निविदादाता की जमानत/धरोहर धनराशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त नगर निगम से प्राप्त वाहनों को वापस सुपुर्द करने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।

33. सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है या कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा सफल निविदादाता को इस सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि नोटिस निर्गत करने के 15 दिवस के अन्दर सफल निविदादाता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर को होगा तथा सफल निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

34. यदि सफल निविदादाता किन्हीं कारणों से उक्त कार्य को करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में सफल निविदादाता को अधिकार होगा कि वह तीन माह पूर्व नोटिस प्रेषित कर अपना अनुबन्ध समाप्त कर सकता है। कार्य करने के इच्छुक न होने पर तथा कार्य बीच में छोड़ने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति वापस नहीं की जायेगी।

35. अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के इतर सफल निविदादाता की कोई शर्त एवं दावा मान्य नहीं होगा।

36. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि सफल निविदादाता उस निर्णय से सहमत न हो तो प्रकरण आर्बीट्रेटर के माध्यम से निपटाया जायेगा। आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बीट्रेटर के न्यायालय में पक्षकार अपने दावों के समर्थन में जो भी अभिलेख प्रस्तुत करेगें, उसका वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जायेगा। आर्बीट्रेटर की फीस का वहन पक्षकारों द्वारा आधा–आधा वहन करना होगा। इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर आर्बीट्रेटर होगें। अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी महोदय के आर्बीट्रेटर न होने की दशा में उनके द्वारा आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जायेगा।

(संजय शर्मा)
सफाई निरीक्षक

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार मलिक)
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी

(रिंकू बिष्ट)
उप नगर आयुक्त

(भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
नगर निगम, रूद्रपुर

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail – nagarnigamrudrapur@gmail.com visit – www.nagarnigamrudrapur.com

Tel. 05944-242400, Fax – 05944-243316

पुराने 50 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (MSW) का पृथकीकरण कर निस्तारित किये जाने के लिए प्रस्ताव हेतु निविदा प्रपत्र की चेक लिस्ट

क्र0 सं0	तकनीकी निविदा का विवरण	विवरण
1.	निविदा शुल्क की रू0 5000+900 (GST@18%)=5900 (पाँच हजार नौ सौ मात्र) का नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के नाम बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट।	
2.	धरोहर राशि रू0 5,00,000.00 (पाँच लाख मात्र) का नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम बन्धक एफडीआर/एनएससी/बैंक गारण्टी।	
3.	केन्द्र सरकार में आयकर विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन नं0) की प्रमाणित छायाप्रति।	
4.	केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड राज्य के श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण।	
5.	केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड राज्य ई0पी0एफ0 (भविष्य निधि कार्यालय) में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।	
6.	केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड राज्य ई0एस0आई0सी0 कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
7.	केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।	
8.	सी0ए0 द्वारा प्रमाणित 03 वर्ष का टर्न ओवर रू0 7.50 करोड़ (सात करोड़ पचास लाख मात्र) का प्रमाण पत्र।	
9.	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम रू0 70.00 लाख (सत्तर लाख मात्र) का नवीनतम हैसियत प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र में इंगित वैधता अवधि तक) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वैधता अवधि से पुराना हैसियत प्रमाण पत्र होने की दशा में पुराना हैसियत प्रमाण पत्र के साथ सम्पत्ति खुर्द–बुर्द न किये जाने सम्बन्धी रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र के साथ–साथ बैंक द्वारा जारी नेट वर्थ प्रमाण पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित नेट वर्थ प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।	
10.	उत्तराखण्ड सहित किसी भी प्रदेश के किसी भी संस्था/विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ–पत्र।	
11.	उत्तराखण्ड अथवा किसी भी राज्य में गत 05 वर्षों में एकल इकाई के रूप में न्यूनतम 5,000 (पाँच हजार) मीट्रिक टन या दो फर्मो/संस्था का संयुक्त उपक्रम होने की दशा में न्यूनतम 10,000 (दस हजार) मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट पृथकीकरण के सम्बन्ध में संस्था/विभाग द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र।	

नोटः– निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने की तिथि से अग्रिम 90 दिनो तक के लिए होनी अनिवार्य है।

मेरे/हमारे द्वारा उक्त कार्यों हेतु निर्धारित शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया गया है तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों को पढ़ने व समझने के उपरान्त निविदा की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया है।

निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

"ई–निविदा सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक फर्मों/सेवाप्रदाओं/एजेन्सीयों/संस्थाओं आदि से दिनांक **28.01.2023** की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक **10.02.2023** की सांय 05:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक **13.02.2023** को दोपहरः 12:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड की जा सकती हैं। ई–निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम रूद्रपुर में सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा।

–ह0–	–ह0–
(विशाल मिश्रा)	**(रामपाल सिंह)**
नगर आयुक्त	महापौर
नगर निगम रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)	नगर निगम रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर जिला–ऊधम सिंह नगर

Tel. 05944-242400 e-mail- nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक 3295/8/स्वा0अनु0/2022–23 P.B — दिनांक 27.01.2023

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. कार्यालय, जिलाधिकारी, उधमसिहनगर।
2. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. कार्यालय, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. कार्यालय, उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
5. कार्यालय, नगर निगम रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र **दैनिक जागराण** एवं **राष्ट्रीय सहारा** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई–निविदा सूचना 6 X 8 सेमी साईज में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक की छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल समाचार की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री तपन कुमार राय, डा0ए0ऑपरेटर, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त ई–निविदा सूचना उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किए जाने हेतु ई–निविदा

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5000+900 (GST 18%)=5900.00

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा 02 बिड प्रक्रिया (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत ई–निविदा के माध्यम से नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पृथक्कीकरण एवं निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाताओं / फर्मों / एजेन्सीयों आदि से निम्न की–डेट्स के अनुसार ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं–

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1.	Date Of Online Publication	28.01.2023	11:00 am
2.	Documents Download Start Date	28.01.2023	11:00 am
3.	Bid Submission Start Date	28.01.2023	11:00 am
4.	Pre Bid Date	06.02.2023	11:00 am
5.	Bid Submission End Date	10.02.2023	05:00 pm
6.	Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	13.02.2023	11:00 am
7.	Bid Opening Date	13.02.2023	12:00 pm

ई–निविदा की शर्ते निम्नवत् है –

1. सफल निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पहाड़गंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर वर्तमान में पड़े लगभग 41500 CuM (लगभग 33000 मीट्रिक टन, माह नवम्बर में निगम द्वारा वैज्ञानिक रूप से कराए गए सर्वे के आधार पर) Current Waste जो कि लगभग 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एकत्रित है, का CPCB के मानकों के अनुसार निस्तारण **कार्यादेश जारी होने के 03 माह के भीतर कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा।**
2. कार्य की पाक्षिक समीक्षा के दौरान यदि नगर, निगम रूद्रपुर को यह प्रतीत होता है कि सफल निविदादाता 03 माह की निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा तो उसे नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा नोटिस प्रेषित किया जा सकता है, जिसका 07 दिवस के भीतर संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने की दशा में 03 माह की कार्यावधि समाप्ति के पश्चात् **रू0 1.00 लाख का जुर्माना लगाया जायेगा।**
3. यदि सफल निविदादाता 03 माह की कार्यवधि समाप्त होने के 4 सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नही कर पाता है तो उस पर बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार जुर्माना लगाए जाने के साथ–साथ उसके अनुबन्ध को तत्काल निरस्त करते हुए कार्यपूति प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिस पर सफल निविदादाता का कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
4. यदि कार्य की अवधि में किसी समय पर यह पाया जाता है कि सफल निविदादाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया किया जा रहा है, तो नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा सफल निविदादाता को इस सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि नोटिस निर्गत करने के 07 दिवस के अन्दर सफल निविदादाता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर को होगा तथा सफल निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

5. सफल निविदादाता को Current Waste निस्तारण हेतु दी गई समय सीमा के भीतर ही धरातल पर आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार का सिविल कार्य, प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आदि का कार्य भी सम्पन्न करना होगा। अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध की अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता होने की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकता है, जिसकी **आख्या के आधार पर अनुबन्ध की अवधि 01 माह के लिए बढ़ायी जा सकती है**। यदि कार्यादेश निर्गत किए जाने की तिथि के पश्चात् कार्य के स्थान पर नगर निगम रूद्रपुर द्वारा पृथक से Current Waste एकत्रित किया जाता है तो उसका नियमानुसार निस्तारण किए जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर द्वारा पृथक से समिति का गठन किया जा सकता है, जिसकी आख्या के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
6. वित्तीय निविदा BOQ प्रारूप में रहेगी, तथा निविदादाता का चुनाव न्यूनतम प्रस्तुत दर के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को अपनी दरें समस्त करों (यदि लागू हो) सहित BOQ में अंकित करनी होंगी।
7. प्रत्येक निविदादाता को एक ही निविदा Submit/डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा Submit/डालने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
8. निविदा दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय) डाली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. निविदा की अनुमानित लागत रू0 1.35 करोड़ (एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये मात्र) अधिकतम है। सफल निविदादाता को अनुबन्ध होने की तिथि से आगामी 01 सप्ताह के भीतर कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में रू0 6,75,000.00 (छः लाख पचहत्तर लाख रूपये मात्र) की बैंक गारण्टी/एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता को कार्य की समाप्ति के पश्चात् नगर निगम रूद्रपुर को इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा सम्पूर्ण Current Waste तथा उससे निकलने वाले सामान/RDF का CPCB/NGT/मा0 न्यायालय तथा समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित मानकों के तहत ही निस्तारण किया गया है। तत्पश्चात् ही सफल निविदादाता की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि अवमुक्त की जायेगी।
11. बिड डालने हेतु निम्न प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होगें किसी भी वांछित प्रपत्र के अपलोड न होने की स्थिति तथा अपठनीय होने की दशा में बिड निरस्त कर दी जायेगी–
    I. निविदादाता को निविदा की धरोहर धनराशि रू0 2,70,000.00 (दो लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) की एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार **मूल रूप** में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसे स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
    II. निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर डाउनलोड व अपलोड किये जायेगें तथा निविदा की शर्तें उपरोक्त वेबसाईट के साथ-साथ नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की दशा में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5,000+ 900 (GST 18%)=5,900.00 (पाँच हजार नौ सौ रूपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार **मूल रूप** में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा। निविदा प्रपत्र मूल्य केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य होगा।

III. निविदादाता को आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

IV. निविदादाता को उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा

V. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019–20, 2020–21 व 2021–22) के आई0टी0आर0 को स्कैन कर अपलोड करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 की आई0टी0आर0 न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की आई0टी0आर0 भी मान्य होगी।

VI. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019–20, 2020–21 व 2021–22) का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (UDIN सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर रू0 70.00 लाख (सत्तर लाख रूपये मात्र) होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 का टर्नओवर प्रमाणपत्र न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्नओवर प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।

VII. निविदादाता के पास विगत 03 वर्षों में किसी भी एक नगरीय निकाय में न्यूनतम 40000 CuM (लगभग 32000 मीट्रिक टन) नगरीय ठोस अपशिष्ट/Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार निस्तारण करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को इस सम्बन्ध में निविदादाता को कार्यादेश की प्रति तथा संतोषजनक कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र को पृथक–पृथक स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

VIII. निविदादाता को रू0 100.00 के नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, पूर्व में उसकी फर्म को **सम्पूर्ण भारतवर्ष में** किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी **मूल प्रति** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

IX. निविदा को रू0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी **मूल रूप** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

X. निविदादाता के पास आर0डी0एफ0/पॉलीथीन इत्यादि को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत किसी ERP फर्म के माध्यम से निस्तारित किए जाने हेतु ERP फर्म के साथ गठित अनुबन्ध पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसको स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

XI. निविदादाता को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/CA द्वारा प्रदत्त रू0 50.00 लाख की हैसियत का वैद्य प्रमाणपत्र अथवा रू0 50.00 लाख का वैद्य नेटवर्थ प्रमाण पत्र की प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

12. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण कार्य एवं सेवाओं का निष्पादन एक इकाई के रूप में करना होगा।

13. सफल निविदादाता को Current Waste का निस्तारण नगर निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर होगा।

14. सफल निविदादाता द्वारा Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार रात्रि में भी कार्य किया जा सकता है।

15. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यक मशीनरी, बिजली एवं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था स्वयं तथा अपने व्यय पर करनी होगी तथा कार्य की अवधि में उस पर होने वाले समस्त व्यय के सापेक्ष नगर निगम रूद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

16. सफल निविदादाता द्वारा MSW Rule 2016 अन्य नियम एवं मा0एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन न करने अथवा शिथिलता बरतने पर मा0 सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या राजकीय विभाग द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उक्त आरोपित अर्थदण्ड को जमा करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
17. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु प्लांट पर न्यूनतम 01 सूपरवाईजर तैनात करना होगा, जिसे मकैनिकल/इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी तथा समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों, आयोगों, अभिकरणों तथा नगर निगम रूद्रपुर द्वारा जारी नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
19. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में योजित कार्मिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे, तथा जैकेट, हेल्मेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट इत्यादि प्रदान किये जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
20. सफल निविदादाता उनके द्वारा Current Waste का संतोषजनक रूप से निस्तारण कर खाली किए गए कुल क्षेत्रफल के आधार पर 03 किश्तों में भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए सफल निविदादाता को प्रत्येक बार स्वंय के व्यय पर वैज्ञानिक रूप से सर्वे करा कर बिल के साथ संलग्न कर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी –

क्रम संख्या	वैज्ञानिक सर्वे की तिथि	सर्वे के अनुसार खाली किए गए स्थान का क्षेत्रफल	सर्वे के अनुसार निस्तारित **Current Waste** की मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उपरोक्त के अतिरिक्त सफल निविदादाता को अपने प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाणपत्र नगर निगम रूद्रपुर को देना होगा कि उसके द्वारा SBM Rules 2016, SWM Rules 2016, CPCB की गाईडलाइन के अनुसार ही Current Waste के निस्तारण का कार्य सम्पन्न किया गया है। कार्य संतोषजनक होने की दशा में सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष 02 सप्ताह में भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
21. सफल निविदादाता को प्लान्ट परिसर में आवश्यकतानुसार स्वंय के व्यय पर कैमरे लगवाने होंगे जिनका आउटपुट नगर निगम में देखे जाने की व्यवस्था सफल निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी।
22. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त प्लान्ट, मशीनों बेल्ट, वाहनों का ईधन व्यय, परिचालन (वाहन चालक व हैल्पर), वाहन के मरम्मत एवं अनुरक्षण क व्यवस्था आदि सफल निविदादाता को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करन होगी। सफल निविदादाता को नगर निगम से कोई मानव शक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
23. उक्त कार्य को करने के दौरान उठने वाली धूल रोकने के लिए व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी एवं कूड़ा उठाने के दौरान उठने वाली दुर्गन्ध के लिए दुर्गन्ध नाशक दवाई का छिड़काव करना भी आवश्यक होगा, जिस हेतु नगर निगम रूद्रपुर द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। प्लांट पर कूड़े में आग रोकने की व्यवस्था सफल निविदादाता को व्यंय के व्यय पर करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय/अधिकरण/मा0 एन0जी0टी0/जिलाधिकारी कार्यालय/नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा

नियमानुसार दण्ड आरोपित किये जाने ... जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

24. अनुबन्ध की अवधि में कार्य करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा तथा इस सम्बन्ध में नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
25. सफल निविदादाता को कार्य की अवधि समाप्त होने तक कार्यस्थल के निकट अपना एक कार्यालय स्थापित करना होगा।
26. Current Waste से निकलने वाले इनर्ट (मिट्टी/बजरी) सफल निविदादाता द्वारा स्वंय के व्यय पर नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निर्धारित स्थान पर निःशुल्क परिवहन कर पहुँचाया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रूद्रपुर द्वारा 02 नग ट्रैक्टर–ट्रॉली तथा उपलब्धतानुसार बेकहो लोडर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कार्य की अवधि में सफल निविदादाता को हस्तांतरित ट्रैक्टर–ट्रॉली के अनुरक्षण, ईधन, वाहन चालक/हेल्पर पर होने वाले समस्त व्यय का वहन सफल निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रूद्रपुर द्वारा पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
27. इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के अलावा Current Waste से निकलने समस्त प्रकार के RDF /सामान (जैसे बोतल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी इत्यादि) का सफल निविदादाता द्वारा CPCB द्वारा निर्धारित मानकों के तहत निस्तारण किया जायेगा। RDF को नियमानुसार निस्तारित/विक्रय करने का अधिकार सफल निविदादाता को होगा तथा उससे होने वाली किसी भी प्रकार की आय के सापेक्ष सफल निविदादाता द्वारा नगर निगम रूद्रपुर को किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।
28. सफल निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम रूद्रपुर सफल निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस पर सफल निविदादाता का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
29. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने (Bid Submition Date) की तिथि से अग्रिम 90 दिनों तक के लिए होनी अनिवार्य है।
30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
31. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा।
32. निविदा खोले जाने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में नियत समय पर ही खोली जायेगी।
33. अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के इतर सफल निविदादाता की कोई शर्त एवं दावा मान्य नहीं होगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि आपूर्तिकर्ता उस निर्णय से सहमत न हो तो प्रकरण आर्बीट्रेटर के माध्यम से निपटाया जायेगा। इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर आर्बीट्रेटर होगें। अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी महोदय के आर्बीट्रेटर न होने की दशा में उनके द्वारा आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जायेगा।
35. आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बीट्रेटर के न्यायालय में पक्षकार अपने दावों के समर्थन में जो भी अभिलेख प्रस्तुत करेगें, उसका वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जायेगा। आर्बीट्रेटर की फीस का वहन पक्षकारों द्वारा आधा–आधा वहन करना होगा।

नोट– निविदादाता को मात्र क्रम संख्या 11(i), 11(ii), 11(viii) एवं 11(ix) पर अंकित अभिलेख ही मूल रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होंगे तथा शेष अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(अशोक डबराल)
प्रधान लिपिक
नगर निगम, रूद्रपुर

(उदयवीर सिंह)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम, रूद्रपुर

(राजू नबियाल)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रूद्रपुर

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel--05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

"ई–निविदा सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा पहाडगंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में एकत्रित 26000 मीट्रिक टन **Current Waste** के **CPCB** के मानको के अनुसार निस्तारण एवं नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन एकत्रित होने वाले लगभग 120 मीट्रिक **Daily Waste** के **CPCB** के मानको के अनुसार निस्तारण हेतु इच्छुक फर्मो/सेवाप्रदातों/एजेन्सीयों/आपूर्तिकताओं से दिनांक 07.07.2023 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 20.07.2023 की सांय 05:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत पृथक–पृथक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.07.2023 को दोपहर 12:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी /शर्ते उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** तथा नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट **www.nagarnigamrudrapur.com** से डाउनलोड की जा सकती है। ई–निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक नगर निगम, रूद्रपुर कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा।

—ह0—	—ह0—
(विशाल मिश्रा)	(रामपाल सिंह)
नगर आयुक्त	महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर, (ऊ0सि0 नगर)	नगर निगम, रूद्रपुर, (ऊ0सि0 नगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel--05944-242400 E-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक – 906 /मुख्य कार्या0/2022–23/पी.वी. दिनांक– 06 जुलाई, 2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र पायनियर एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई–निविदा सूचना को 6X8 सेमी0 साईज मे अपनी व्यवसायिक दरों मे 30 प्रतिशत या उससे अधिक छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक मे प्रकाशन का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री तपन कुमार राय, डा.ई.आ., नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in एवं नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
Tel 05944-242400 E-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले Daily Waste का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किए जाने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5000+900 (GST 18%)=5900.00

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा 02 बिड प्रक्रिया (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले Daily Waste का CPCB के मानकों के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पृथक्कीकरण एवं निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाताओं/फर्मो/एजेन्सीयों आदि से निम्न की-डेट्स के अनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है-

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1.	Date Of Online Publication	07/07/2023	11:00 am
2.	Documents Download Start Date	07/07/2023	11:00 am
3.	Bid Submission Start Date	07/07/2023	11:00 am
4.	Pre-bid Date	14/07/2023	11:00 am
5.	Bid Submission End Date	20/07/2023	05:00 pm
6.	Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	21/07/2023	11:00 am
7.	Bid Opening Date	21/07/2023	12:00 pm

निविदा की शर्ते निम्नवत् है –

1. सफल निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले लगभग 120 मीट्रिक टन Daily Waste का CPCB के मानकों के अनुसार न्यूनतम 200 MT प्रतिदिन क्षमता की ट्रामल मशीन/Ballast Seprator से निस्तारण का कार्य करना होगा। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दैनिक रूप से एकत्र होने वाले अपशिष्ट के निस्तारण कार्य की अवधि तब तक होगी, जब तक कि ट्रंचिंग ग्राउण्ड में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन एकत्रित होने वाला अपशिष्ट आना समाप्त न हो जाए (02 वर्ष अधिकतम)।
2. यदि कार्य की अवधि में किसी समय पर यह पाया जाता है कि सफल निविदादाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया किया जा रहा है, तो नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा सफल निविदादाता को इस सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि नोटिस निर्गत करने के 15 दिवस के अन्दर सफल निविदादाता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर को होगा तथा सफल निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. सफल निविदादाता को Daily Waste के निस्तारण हेतु अधिकतम 02 सप्ताह के भीतर ही धरातल पर आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार का सिविल कार्य, प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आदि का कार्य भी सम्पन्न करना होगा।
4. सफल निविदादाता को नगर निगम की मांग के अनुसार फाजलपुर महरौला स्थित सी0बी0जी0 प्लांट हेतु गीला अपशिष्ट तथा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित एम0आर0एफ0 सेंटरों हेतु सूखा अपशिष्ट उपलब्ध कराना होगा, शेष अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण स्वयं करना होगा।
5. वित्तीय निविदा BOQ प्रारूप में रहेगी, तथा निविदादाता का चुनाव न्यूनतम प्रस्तुत दर के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को अपनी दरें समस्त करों (यदि लागू हो) सहित BOQ में अंकित करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रत्येक निविदादाता को एक ही निविदा Submit/डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा Submit/डालने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निविदा दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय) डाली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदा की अनुमानित लागत रू0 4.38 करोड़ (चार करोड़ अडतीस लाख रूपये मात्र) अधिकतम है। सफल निविदादाता को अनुबन्ध होने की तिथि से आगामी 01 सप्ताह के भीतर कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में रू0 35,00,000.00 (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की बैंक गारण्टी/एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. सफल निविदादाता को प्रतिमाह अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के साथ नगर निगम रूद्रपुर को इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा सम्पूर्ण Daily Waste तथा उससे निकलने वाले सामान/RDF का CPCB/NGT/मा0 न्यायालय तथा समय–समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित मानकों के तहत ही निस्तारण किया गया है।
10. बिड डालने हेतु निम्न प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होगें किसी भी वांछित प्रपत्र के अपलोड न होने की स्थिति तथा अपठनीय होने की दशा में बिड निरस्त कर दी जायेगी–
    I. निविदादाता को निविदा की धरोहर धनराशि रू0 8,76,000.00 (आठ लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र) की एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को तकनीकी निविदा के साथ की–डेट्स के अनुसार **मूल रूप** में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसे स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
    II. निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर डाउनलोड व अपलोड किये जायेगें तथा निविदा की शर्ते उपरोक्त वेबसाईट के साथ–साथ नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की दशा में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5,000+ 900 (GST 18%)=5,900.00 (पाँच हजार नौ सौ रूपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ की–डेट्स के अनुसार **मूल रूप** में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा। निविदा प्रपत्र मूल्य केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य होगा।
    III. निविदादाता को आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
    IV. निविदादाता को जी0एस0टी0 पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा
    V. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21 व 2021–22) के आई0टी0आर0 को स्कैन कर अपलोड करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 की आई0टी0आर0 न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 की आई0टी0आर0 भी मान्य होगी।
    VI. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21 व 2021–22) का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (UDIN सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर रू0 60.00 लाख (साठ लाख रूपये मात्र) होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 का टर्नओवर प्रमाणपत्र न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018–19 का टर्नओवर प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

VII. निविदादाता के पास विगत 03 वर्षों (2020–21, 2021–22 व 2022–23) में किसी एक वर्ष में किसी एक नगरीय निकाय में न्यूनतम 25000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट/Current Waste/ लिगेसी वेस्ट निस्तारण करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को इस सम्बन्ध में कार्यादेश की प्रति तथा संतोषजनक कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र को पृथक–पृथक स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

VIII. निविदादाता को रू0 100.00 के नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, पूर्व में उसकी फर्म को **सम्पूर्ण भारतवर्ष में** किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी **मूल प्रति** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

IX. निविदा को रू0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा उसको **मूल रूप** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण कार्य एवं सेवाओं का निष्पादन एक इकाई के रूप में करना होगा तथा ज्वाइंट वेंचर भी मान्य होगा।

12. सफल निविदादाता को Daily Waste का निस्तारण नगर निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर होगा।

13. सफल निविदादाता द्वारा Daily Waste के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार रात्रि में भी कार्य किया जा सकता है।

14. सफल निविदादाता को Daily Waste के निस्तारण हेतु आवश्यक मशीनरी, बिजली एवं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था स्वयं तथा अपने व्यय पर करनी होगी तथा कार्य की अवधि में उस पर होने वाले समस्त व्यय के सापेक्ष नगर निगम रूद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. सफल निविदादाता द्वारा MSW Rule 2016 अन्य नियम एवं मा0एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन न करने अथवा शिथिलता बरतने पर मा0 सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या राजकीय विभाग द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उक्त आरोपित अर्थदण्ड को जमा करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

16. सफल निविदादाता को Daily Waste के निस्तारण हेतु प्लांट पर न्यूनतम 01 सूपरवाईजर तैनात करना होगा, जिसे मकैनिकल/इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना अनिवार्य होगा।

17. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी तथा समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों, आयोगों, अभिकरणों तथा नगर निगम रूद्रपुर द्वारा जारी नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।

18. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में योजित कार्मिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे, तथा जैकेट, हेल्मेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट इत्यादि प्रदान किये जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

19. उपरोक्त के अतिरिक्त सफल निविदादाता को अपने प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाणपत्र नगर निगम रूद्रपुर को देना होगा कि उसके द्वारा SBM Rules 2016, SWM Rules 2016, CPCB की गाईडलाइन के अनुसार ही Daily Waste के निस्तारण का कार्य सम्पन्न किया गया है। कार्य संतोषजनक होने की दशा में ही सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

20. सफल निविदादाता को प्लान्ट परिसर में आवश्यकतानुसार स्वंय के व्यय पर कैमरे लगवाने होंगे जिनका आउटपुट नगर निगम में देखे जाने की व्यवस्था सफल निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी।

21. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा की कार्य की अवधि में किसी भी दशा में अपशिष्ट ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के निकट प्रवाहित होने वाली नदी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर न आए। यदि इस कारण किसी न्यायालन, एन0जी0टी0 अथवा अन्य ऐसे किसी आयोग की ओर से नगर निगम रूद्रपुर पर कोई अर्थदण्ड आरोपित होता है तो उसकी भरपाई निविदादाता से की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

22. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त प्लान्ट, मशीनों, बेल्ट, वाहनों का ईंधन व्यय, परिचालन (वाहन चालक व हैल्पर), वाहन के मरम्मत एवं अनुरक्षण क व्यवस्था आदि सफल निविदादाता को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करन होगी। सफल निविदादाता क ो नगर निगम से कोई मानव शक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
23. उक्त कार्य को करने के दौरान उठने वाली धूल रोकने के लिए व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी एवं कूड़ा उठाने के दौरान उठने वाली दुर्गन्ध के लिए दुर्गन्ध नाशक दवाई का छिड़काव करना भी आवश्यक होगा, जिस हेतु नगर निगम रूद्रपुर द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। प्लांट पर कूड़े में आग रोकने की व्यवस्था सफल निविदादाता को व्यंय के व्यय पर करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय/अधिकरण/मा0 एन0जी0टी0/जिलाधिकारी कार्यालय/नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा नियमानुसार दण्ड आरोपित किये जाने पर उसे जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
24. अनुबन्ध की अवधि में कार्य करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा तथा इस सम्बन्ध में नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
25. *सफल निविदादाता को कार्य की अवधि समाप्त होने तक कार्यस्थल के निकट अपना एक कार्यालय स्थापित* करना होगा।
26. Daily Waste से निकलने वाले इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के निस्तारण की कार्यवाही सफल निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी। निविदादाता को निस्तारित वेस्ट का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा। इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के अलावा Daily Waste से निकलने समस्त प्रकार के RDF /सामान (जैसे बोतल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी इत्यादि) का सफल निविदादाता द्वारा CPCB द्वारा निर्धारित मानकों के तहत निस्तारण किया जायेगा। RDF को नियमानुसार निस्तारित/विक्रय करने का अधिकार सफल निविदादाता को होगा।
27. यदि किसी दिन वर्षा के कारण अपशिष्ट गीला हो जाता है जिस कारण से कार्य नही हो पाता है तो निविदादाता को उस दिन के कार्य न करने पर कोई दण्ड नही लगाया जायेगा। इसी प्रकार नगर निगम के निर्देश पर कार्य रोका जाता है तो उस दिन के लिये भी कोई दण्ड (Penalty) नही लगाया जायेगा।
28. सफल निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम रूद्रपुर सफल निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस पर सफल निविदादाता का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
29. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने (Bid Submition Date) की तिथि से अग्रिम 90 दिनों तक के लिए होनी अनिवार्य है।
30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
31. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा।
32. निविदा खोले जाने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में नियत समय पर ही खोली जायेगी।
33. अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के इतर सफल निविदादाता की कोई शर्त एवं दावा मान्य नहीं होगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि आपूर्तिकर्ता उस निर्णय से सहमत न हो तो प्रकरण आर्बीट्रेटर के माध्यम से निपटाया जायेगा। इस

Scanned with OKEN Scanner

सन्दर्भ में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर आर्बीट्रेटर होगें। अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी महोदय के आर्बीट्रेटर न होने की दशा में उनके द्वारा आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जायेगा।

35. आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बीट्रेटर के न्यायालय में पक्षकार अपने दावों के समर्थन में जो भी अभिलेख प्रस्तुत करेगें, उसका वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जायेगा। आर्बीट्रेटर की फीस का वहन पक्षकारों द्वारा आधा–आधा वहन करना होगा।

नोट– निविदादाता को मात्र क्रम संख्या i, ii, viii एवं ix पर अंकित अभिलेख ही मूल रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होंगे तथा शेष अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(कपूर सिंह)
प्र0 स्वास्थ्य लिपिक
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(कुलदीप कुमार)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(हर्षपाल सिंह पण्डोक)
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(प्रेम नबियाल)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner